दिनांक- 21.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 603/26

महोबा पुलिस

पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा में वर्चुअल जनसुनवाई का आयोजन किया गया, फरियादियों की समस्याओं को सुनकर निस्तारण के दिए निर्देश।

- आज दिनांक 21.08.2026 को पुलिस अधीक्षक महोबा, श्री शशांक सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय महोबा से गूगल मीट के माध्यम से वर्चुअल जनसुनवाई आयोजित की गई। इस पहल के अंतर्गत जनपद के समस्त पुलिस अधिकारी एवं थाना प्रभारी वर्चुअल माध्यम से सीधे जुड़कर जनसमस्याओं के समाधान में सहभागी बने।
- जनसुनवाई के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से आये शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को गंभीरता पूर्वक सुना गया तथा संबंधित थाना प्रभारियों से सीधे संवाद स्थापित कर प्रत्येक प्रकरण के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण हेतु स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए।
- पुलिस अधीक्षक महोबा द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी शिकायतों का निस्तारण पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए, जिससे आमजन को शीघ्र न्याय एवं राहत प्राप्त हो सके।
- साथ ही उन्होंने जनसमस्याओं के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रत्येक स्तर पर प्रभावी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग सुनिश्चित करने पर बल दिया।

  महोबा पुलिस- समस्याओं का समाधान, पारदर्शिता के साथ

दिनांक- 21.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 604/26

महोबा पुलिस

मिशन शक्ति 5.0 के तहत महोबा पुलिस का जागरूकता अभियान, महिलाओं को सुरक्षा, अधिकार व आत्मनिर्भरता का संदेश

मिशन शक्ति 5.0 (द्वितीय चरण):- डर से सुरक्षा तक, निर्भरता से आत्मनिर्भरता तक – हर कदम नारी के सम्मान में महोबा पुलिस !

"बेटियों के हौसले को मिला नया आसमान, मिशन शक्ति से जाग उठी पहचान।"

मिशन शक्ति फेज-5 के द्वितीय चरण के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद की समस्त थाना पुलिस द्वारा व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान बाजारों, स्कूल/कॉलेजों, सार्वजनिक स्थलों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालिकाओं को सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के प्रति जागरूक किया गया।

अभियान के माध्यम से सैकड़ों महिलाओं एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा, कानूनी अधिकारों एवं विभिन्न अपराधों से बचाव के उपायों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई। साथ ही उन्हें महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों–181 (महिला हेल्पलाइन), 1090 (महिला शक्ति लाइन), 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) एवं 1076 (पुलिस कंट्रोल रूम) के बारे में अवगत कराया गया।

इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को UPCOP ऐप के माध्यम से पुलिस सेवाओं का त्वरित लाभ उठाने की जानकारी दी गई तथा सोशल मीडिया के माध्यम से होने वाले साइबर अपराधों जैसे फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, फर्जी प्रोफाइल/खातों के जरिए होने वाली धोखाधड़ी से बचाव के व्यावहारिक उपाय भी बताए गए।

महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों के संबंध में भी जागरूक किया गया, जिसमें POCSO एक्ट (बाल यौन शोषण से संरक्षण), दहेज निषेध अधिनियम, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी शामिल रही।

मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करने हेतु यह अभियान निरंतर संचालित किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में महिलाओं को सशक्त एवं सुरक्षित महसूस कराना तथा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को और अधिक मजबूत करना है।

महोबा पुलिस द्वारा समस्त महिलाओं एवं बालिकाओं से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की असुरक्षा या अपराध की स्थिति में तुरंत निकटतम पुलिस थाने या उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें।

हम सब मिलकर एक सुरक्षित, सम्मानजनक एवं सशक्त समाज का निर्माण करें।

दिनांक- 21.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 605/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम द्वारा 01 नफर वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती वंदना सिंह के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में वारण्टी/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री संतोष कुमार सिंह द्वारा गठित पुलिस टीम के उ0नि0 सूर्यभान सिंह मय हमराह का0 हेमन्त सरोज द्वारा माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोबा से संबंधित मु0नं0 08/2016 एवं मु0अ0सं0 39/2014 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 में जारी वारण्ट के अनुपालन में वारण्टी अभियुक्त मुकेश पुत्र आशा प्रसाद, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम अलीपुरा थाना कबरई जनपद महोबा को ग्राम अलीपुरा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को संबंधित माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1.मुकेश पुत्र आशा प्रसाद, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी ग्राम अलीपुरा थाना कबरई जनपद महोबा।

संबंधित वाद का विवरण-

मु0नं0 08/2016 एवं मु0अ0सं0 39/2014

धारा 323/504/506 भा0द0वि0

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 सूर्यभान सिंह, थाना कबरई जनपद महोबा
2. का0 हेमन्त सरोज, थाना कबरई जनपद महोबा

दिनांक- 21.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 606/26

महोबा पुलिस

सर्किल नगर- थाना कबरई

थाना कबरई पुलिस टीम ने अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के कुशल निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री रविकांत गोंड के नेतृत्व में अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं अवैध शस्त्रों की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कबरई पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना कबरई श्री संतोष कुमार सिंह के दिशा-निर्देशन में गठित पुलिस टीम में उ0नि0 श्री अनुज कुमार सिंह मय हमराह कां0 धर्मेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक 20.08.2026 को एक नफर अभियुक्त विवेक साहू पुत्र परशुराम साहू, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी मोहल्ला अम्बेडकर नगर, कस्बा व थाना कबरई, जनपद महोबा को सिद्धबाबा मंदिर जाने वाली रोड, बहद मोहल्ला अम्बेडकर नगर, कस्बा व थाना कबरई, जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना कबरई पर मु0अ0सं0 188/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही कर अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विवेक साहू पुत्र परशुराम साहू, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी मोहल्ला अम्बेडकर नगर, कस्बा व थाना कबरई, महोबा

बरामदगी का विवरण-

- 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर
- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 अनुज कुमार सिंह
2. कां0 धर्मेन्द्र कुमार

दिनांक- 21.08.2026

प्रेस विज्ञप्ति संख्या- 60726

महोबा पुलिस

सर्किल चरखारी- थाना चरखारी

थाना चरखारी पुलिस टीम द्वारा छिनैती की घटना कारित करने वाले 02 नफर वाछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, मुकदमे से सम्बन्धित मोबाइल व पीली धातु का लॉकेट बरामद।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री शशांक सिंह के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वन्दना सिंह के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री दीपक दुबे के कुशल नेतृत्व में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध शराब, जुआ, गांजा व अवैध शस्त्र की बरामदगी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चरखारी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

प्रभारी निरीक्षक थाना चरखारी श्री बीरेन्द्र प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा मय हमराह हे0कां0 राजाराम पाल व कां0 रविन्द्र सरोज द्वारा थाना चरखारी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 181/2026 धारा 304/317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण 1. देवेंद्र पाल पुत्र वृंदावन पाल उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम भटेवरा कलां थाना चरखारी जनपद महोबा एवं 2. शैलेंद्र पुत्र वृंदावन पाल उम्र करीब 19 वर्ष निवासी ग्राम भटेवरा कला थाना चरखारी जनपद महोबा को आज दिनांक 21.08.2026 को पवा चौराहा के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज तिगैला, थाना चरखारी जनपद महोबा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित 01 अदद मोबाइल फोन वीवो एवं 01 अदद पीली धातु का लॉकेट बरामद किया गया। गिरफ्तार वांछित अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

1.उ0नि0 देवेन्द्र कुमार ओझा

2.हे0कां0 राजाराम पाल

3.कां0 रविन्द्र सरोज, थाना चरखारी जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्तगण:

1. देवेंद्र पाल पुत्र वृंदावन पाल, उम्र करीब 22 वर्ष, निवासी ग्राम भटेवरा कलां, थाना चरखारी, जनपद महोबा
2. शैलेंद्र पुत्र वृंदावन पाल, उम्र करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम भटेवरा कला, थाना चरखारी, जनपद महोबा